जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
11/2016

प्रकरण सं0 11/2015 अनवानी श्री भूप सिंह पुत्र श्री करतारसिंह जाति रामगढिया साकिन चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–सरवन सिंह पुत्र करतारसिंह जाति रामगढिया साकिन 30 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2–उपजिलाधीश, श्रीगंगानगर

09.01.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री ओ.पी.बतरा अभिभाषक उपस्थित है। अप्रार्थी सरवनसिंह के अभिभाषक श्री राजकुमार नागपाल उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन था कि प्रार्थी के पा चक 30 जीजी तहसील श्रीगंगानगर के मु0न0 58 कि0न0 1, 2 व 3/127 हे0 कुल 2 बीघा 10 विस्वा भूमि है। प्रार्थी एक लघु कृषक है और प्रार्थी की उक्त भूमि में से एक खाल पहले से ही चल रहा है और अप्रार्थी ने मु0न0 58 के कि0न0 1 में रास्ता स्वीकृत करने के लिए उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया है जबकि वह पूर्व में 30 वर्ष से अपने खेत में दूसरे रास्ते आ रहा है इसलिए उसे नया रास्ता स्वीकार नही किया जा सकता किन्तु अप्रार्थी ने प्रार्थी की जमीन हड़पने की नियत से ही रास्ता स्वीकृति का प्रा0 पत्र पेश किया है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अप्रार्थी एक राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है जबकि प्रार्थी बहुत ही कमजोर व्यक्ति है। अप्रार्थी ने राजनैतिक दबाब के कारण तहसीलदार से मिलीभगत करके गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट करवा ली है। जिसके बारे में उपखण्ड अधिकारी को प्रा0 पत्र पेश किया जो उन्होने खारिज कर दिया।

उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी ने पंचायत के 3–4 व्यक्तियो के साथ अप्रार्थी को समझाने की कोशिश की कि आप दूसरे रास्ते से आ रहे हो और उसके पास पहले से ही बहुत कम रकबा है। इसलिए आपको रास्ते की आवश्यकता नही है किन्तु अप्रार्थी ने कहा कि उसने विधायक श्री गुरजन्ट सिंह से सिफारिश करवा रखी है निर्णय उसके हक में होवेगा। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा आरआरटी 2002 पेज 878 व आरआरटी 2006(2) पेज 951 का उद्धरण देते हुए कथन किया कि चूंकि अप्रार्थी राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है इसलिए उसे न्याय मिलने की कोई संभावना नही है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में लंबित प्रकरण सं0 167/13 अनवानी सरवण सिंह बनाम भूपसिंह को निष्पक्ष न्याय की दृष्टि से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी सरवनसिंह के अभिभाषक श्री राजकुमार नागपाल का कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण का इस न्यायालय में गुण दोष के आधार पर कोई निर्णय नही किया जाना है केवलमात्र इस बिन्दु पर निर्णय किया जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे या न किया जावे? प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर जो राजनैतिक दबाब का आरोप लगाया है, वह आरोप एक साधारण प्रकृति का है, ऐसा आरोप कभी भी, किसी भी समय, किसी पर लगाया जा सकता है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाता है और न ही उनका

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्ट
श्रीगंगानगर
11/201

श्री गुरजन्ट सिंह विधायक से कोई संबंध है और न ही उनके द्वारा कोई राजनैतिक सिफारिश करवाई गई है।

उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी को भी अपनी भूमि में आने जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता है। इसलिए इनके द्वारा रास्ता हेतु प्रा0 पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की दृष्टि से ही यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जावे।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली व उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रतिवेदन दिनांक 01.04.2015 का भी अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी ने अपने उपर लगाये गये आरोपो को मनगढंत बताते हुए उनके न्यायालय में लंबित प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल करने में कोई आपति नही होना जाहिर किया है। इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मूल रास्ता प्रकरण का गुण दोष के आधार पर निर्णय नही करना है केवलमात्र उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय से अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने अथवा न करने पर विचार किया जाना है। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष लंबित प्रकरण संख्या 167/2013 सरवन सिंह बनाम भूपसिंह को इस आधार पर मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गयी है कि पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाब है इसलिए उसे न्याय न मिलने की आशंका है। पीठासीन अधिकारी पर लगाया गया उक्त आरोप साधारण प्रकृति का है और ऐसा आरोप कभी भी, किसी भी समय, किसी पर भी लगाया जा सकता है। मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो कि अगर प्रकरण को मुन्तकिल नही किया गया तो प्रार्थी के साथ वास्तव में अन्याय होगा। जिसका इसमें पूर्णतया अभाव है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

156
18-1-17

आदेश आज दिनांक 09.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानो राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर